→ B.Ed 1st year

Language across the Curriculum

सम्पूर्ण पाठ्यचर्या में भाषा

भाषा शब्द संस्कृत के भाष् धातु से बना है। जिसका अर्थ है बोलना या कहना। पुनः भाष धातु है जिसे बोला जाए।

C - 4

Topic - "भाषा का अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र, महत्व, कार्य"

Unit 1 - हिन्दी भाषा का अर्थ

[NOTE- यहाँ पर ऑरेलाण्या से किशोरावस्था तक बालक के भाषायी विकास को विस्तार पूर्वक ~~लिखना~~ लिखें]

- सम्पूर्ण जीवमंडल में केवल मनुष्य को ही भाषा का अमूल्य वरदान ईश्वर से मिला है।

- मनुष्य, मनुष्य है और सभी जीवधारियों में सर्वोत्तम स्थान है।

- भाषा एक मानवीय कलाकृति है।

डार्विन के मतानुसार, "भाषा ईश्वरीय वरदान नहीं है अपितु ध्वनियों, शब्दों, और बोली से विकसित एवं परिष्कृत होकर आज इस अवस्था तक पहुँची है।"

- भाषा के विकास में मानव का ~~सिधा~~ सीधा सम्बन्ध है।

- भाषा भावों एवं विचारों की जननी तथा अभिव्यक्ति का साधन एवं माध्यम है।

- भाषा के कारण ही मनुष्य इतना उन्नत प्राणी बन सका है।

Note - "आज भी मनुष्य की अनुभूतियों (आनुभव संवेदनात्मक करना।) को शाब्दिक भाषा से अभिव्यक्त करना सम्भव नहीं है। इसकी अभिव्यक्ति के लिए मूक भाषा (हाव-भाव की भाषा) अशाब्दिक भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। यह अक्सर व्यक्तियों को कहते सुना है इसकी अभिव्यक्ति के लिए हमारे पास उपयुक्त शब्द नहीं है। अधिक दुःखी व्यक्ति अपनी वेदनाओं की अभिव्यक्ति अश्रुधारा (रोकर) से ही कर पाता है।"

⇨ इस प्रकार भाषा के दो रूप हैं — / भाषा का विश्लेषण

I. शाब्दिक भाषा	II. अशाब्दिक भाषा
• मौखिक वाचन, लेखन • ध्वनि विज्ञान (वाचन) • लेखन विज्ञान (लेखन) • भाषायी कौशल (पढ़ना, लिखना, बोलना, सुनना) • व्याकरणीय रूप • शिक्षण एवं परिक्षण की औपचारिक रूप • ज्ञानात्मक, क्रियाशील	1 प्रभावशाली शिक्षक कक्षा का नियन्त्रण तथा छात्रों को अभिप्रेरण अपने हाव-भाव से ही देता 1 अनुभूतियों (संवेदना) की अभिव्यक्ति अशाब्दिक अन्तःप्रक्रिया से ही होती है। • शान्त भाषा, शारीरिक भाषा, हाव-भाव भाषा। • मुख्य मुद्राएँ। • शारीरिक अंगो की क्रियाशीलता • अनौपचारिक कोई व्याकरणीय भाषा • भावनात्मक पक्ष

• मूक भाषा शरीर – भाषा है। यानि हाव-भाव की भाषा है

Note | "शिक्षा के क्षेत्र में शोध अध्ययनों का निष्कर्ष यह है कि :—
शिक्षण की कक्षागत अन्तःप्रक्रिया में शाब्दिक तथा अशाब्दिक दो प्रकार की अन्तःप्रक्रिया में समान महत्व है।"

+• भाषा कि उत्पत्ति का विषय 'भाषा – विज्ञान' है का क्षेत्र है।

• भाषा वास्तव में अभिव्यक्ति की, संकेतो की प्रक्रिया है।

• ध्वनि के लिए विभिन्न भाषाओं में अपनी-२ वर्णमाला विकसित की है।

• वास्तव में वर्णमाला एक भाषा के संकेतो का स्वरूप है।

• अपने भावों एवं विचारों को लेखन से शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा में प्रस्तुत करता है।

Note | " शारीरिक दोष होने पर बालक वर्ण या शब्द से शुद्ध ध्वनि उत्पन्न नही कर पाता है। इसका यह अर्थ लगाते हैं कि बालक में भाषा-शक्ति का अभाव है जबकि चिन्तन शक्ति व विचार शक्ति का अभाव नहीं है।"
(यानि भाषा-शक्ति का अभाव है न कि चिन्तन व विचार शक्ति)

भाषा के विश्लेषण में शाब्दिक भाषा में ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और अशाब्दिक भाषा में भावनात्मक पक्ष से क्या समझते है?

- किसी भी भाषा का विश्लेषण दो घटको में किया जाता है।

I. शाब्दिक पक्ष
II. अशाब्दिक पक्ष

- भाषा के दोनो पक्ष साथ-2 क्रियाशील रहते है।
- शाब्दिक भाषा की क्रियाशीलता अशाब्दिक भाषा पर निर्भर रहती है।
- शिक्षण अधिगम का भावनात्मक पक्ष अशाब्दिक भाषा से विकसित होता है।
- भाषा के विश्लेषण से इसके स्वरूप का बोध होता है।
- भाषा के घटको में व्याकरणीय पक्ष अधिक महत्वपूर्ण होता है।
- प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है।
- व्याकरण भाषा विज्ञान की आत्मा है।

भाषा की प्रकृति / विशेषताएँ

Note भाषा की परिभाषाओं में उसकी विशेषताओं का ही उल्लेख किया जाता है जिससे भाषा की प्रकृति का बोध होता है।
इसलिए इनकी विशेषताएँ निम्न हैं :—

(1) भाषा मानव मण्डल का ध्वनिमय स्वरूप है। जिससे भावों, विचारों तथा संवेगो की अभिव्यक्ति की जाती है।

(2) भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चारण की सीमित ध्वनियों का संगठन है।

(3) ध्वनिमय शब्दों, संकेतो तथा चिह्नों द्वारा एवं विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है

(4) भाषा मौखिक तथा लिखित प्रतिको, शब्दों, संकेतो व चिह्नो की व्यवस्था है।

(5) भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा मानव - समाज एवं संस्कृति के विचारों एवं कार्यो का संप्रेषण किया जाता है।

(6) मानव मण्डल को भाषा (वाणी) का वरदान प्रकृति से मिला है जिसके कारण जीवन - मण्डल में सर्वोच्च स्थान पाया है।

(7) भाषा के माध्यम से मानव अपने ज्ञान को संचित करता है, प्रसार करता है तथा अभिवृद्धि भी करता है।

(8) भाषा मानव की कला कृति है, जिसके प्रमुख कौशल बोलना, लिखना, पढ़ना तथा सुनना है।

भाषा के सामान्य विशेषताएँ

(1) भाषा पैतृक सम्पत्ति नही है। (2) भाषा परम्परागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता।
(3) भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है। (4) भाषा (आदान्त) समाजिक वस्तु है
(5) भाषा अर्जित सम्पत्ति है। (6) भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
(7) भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है।
(8) भाषा चिर परिवर्तनशील है।
(9) भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और पीढ़ता की ओर जाती है।

भाषा की सामान्य विशेषताएँ

1) भाषा पैतृक सम्पत्ति नहीं है — कुछ विद्वानों के मतानुसार — पिता की भाषा पुत्र को मिलती है, अर्थात् जिस प्रकार पैतृक सम्पत्ति पर पुत्र का अधिकार होता है उसी प्रकार भाषा उसी धरोहर के रूप में मिल जाती है,

किन्तु यह मत सदैव सत्य नहीं है।

यदि किसी भारतीय बच्चे को जन्म के कुछ ही दिन पश्चात् (बाद में) पालन-पोषण के लिए इंग्लैंड भेज दिया जाए तो वह वहाँ पर भारतीय भाषा नहीं बोल सकेगा, वहाँ उसकी मातृभाषा अँग्रेजी ही होगी। यदि भाषा पैतृक सम्पत्ति रही होती तो वह बालक भारतीय भाषा ही बोलता।

2) भाषा परम्परागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उसे उत्पन्न नहीं कर सकता —

- भाषा परम्परा से चली आ रही है।
- व्यक्ति परम्परा तथा समाज से उसका अर्जन करता है।
- एक व्यक्ति उसे उत्पन्न नहीं कर सकता, किन्तु वह उसमें परिवर्तन आदि कर सकता है।
- यदि भाषा का कोई जनक तथा जननी है, तो वह परम्परा तथा समाज है।

③ भाषा संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है —

- भाषा वस्तुतः संयोगावस्था से वियोगावस्था की ओर जाती है।
- वियोग से तात्पर्य है — विघटित होना जैसे 'मोहनः खादति' से 'मोहन खाता है' का हो जाना।
- अतः कहा जा सकता है कि संस्कृत से हिन्दी वियोगात्मक हो गयी है।

④ भाषा आद्यन्त सामाजिक वस्तु है — भाषा का अर्जन समाज के सम्पर्क से ही हो सकती है। वास्तविकता यही है कि भाषा का जन्म समाज में होता है, उसका विकास समाज में होता है, तथा उसका प्रयोग भी समाज से होता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसलिए उसे विचार-विनिमय के लिए भाषा की आवश्यकता पड़ती है।

⑤ भाषा अर्जित सम्पत्ति है —

- मनुष्य भाषा का अर्जन अपने चारो ओर के वातावरण से करता है।
- इस तथ्य की पुष्टि कई उदाहरणों से की जा सकती है जैसे - यदि एक भारतीय बालक का अँग्रेजी के वातावरण में पालन-पोषण किया जाए तो वह अँग्रेजी ही सीखता है।
- अतः स्पष्टतः भाषा अर्जित सम्पत्ति है न कि पैतृक संपत्ति।

(6.) भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है — Emitation (इमिटेशन) → (नकल, प्रतिलिपि, प्रतिछाया) अनुकरण

- अनुकरण का सामान्य अर्थ है नकल या प्रतिलिपि करना।
- भाषा का अर्जन अनुकरण द्वारा होता है।
- बच्चे के सामने माँ रोटी को 'रोटी' कहती है, वह उसे सुनता है तथा धीरे-2 उसे स्वयं कहने का प्रयत्न करता है।
- वस्तुतः अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है।
- हम भाषा को अनुकरण के सहारे ही सीखते हैं।

अपने नित्य कार्यों में बड़ों के द्वारा अनुकरण के माध्यम से सीखता है अगर किसी बच्चे को समाज से अलग करके रख दिया जाए तो वह किसी का भी अनुकरण कर सकने में असमर्थ होने के कारण असहाय और दीन की स्थिति में रह जाएगा। शिशु को किसी भी क्रिया को सीखने के लिए पूछने की आवश्यकता नहीं होती वह केवल अन्य लोगों का अनुकरण (देखा-देखी) करके सीख लेता है। [लेकिन वर्तमान में इसका अर्थ है, अभ्यास के लिए लेखकों, कवियों को उपलब्ध उत्कृष्ट रचनाओं का अध्ययन / अनुकरण आदि से।]

(7.) भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है —

- सत्यता यही है कि मनुष्य न्यूनतम श्रम में महत्तम कार्य करना चाहता है।
- मनुष्य की यही प्रवृत्ति भाषा के लिए भी उत्तरदायी है;

Ex- टेलीफिजन को केवल T.V कहकर काम चला लिया जाता है।

- वास्तविक शब्द कष्ट साध्य होने के कारण सिर्फ T.V कहकर काम चला लिया गया।
- व्याकरण में भी यही नियम लागू होता है जिसके अन्तर्गत प्रारम्भ में तो अनेक रूपों तथा अपवादों की अधिकता थी परन्तु धीरे-2 आधुनिक भाषाओं तक आते-2 नियम बनकर रूप कम हो गए तथा अपवादों की अधिकता भी कम हो गयी।

(8.) भाषा चिर परिवर्तनशील है —

- वस्तुतः भाषा के मौखिक रूप को भाषा कहा जाता है। लिखित रूप तो उसके पीछे-पीछे ही चलता है।
- मौखिक भाषा को व्यक्ति अनुकरण द्वारा सीखता है परन्तु अनुकरण हमेशा अपूर्ण होता है। इसी कारण भाषा में सदा परिवर्तन होते रहते हैं।
- अनुकरण पर शारीरिक तथा मानसिक विभिन्नता का प्रभाव पड़ता है, जिनकी सूक्ष्म विभिन्नता भी भाषा में परिवर्तन का कारण बन जाती है।

(9) भाषा स्थूलता से सूक्ष्मता और प्रौढ़ता की ओर जाती है :—

- भाषा शुरू में स्थूल होती है परन्तु धीरे-2 वह सूक्ष्म भावों तथा विचारों के आदान प्रदान के लिए सूक्ष्म तथा अप्रौढ़ से प्रौढ़ होती जाती है, परन्तु ये सभी बातें प्रयोग पर भी निर्भर करती है। (1)

- वर्तमान समय की हिन्दी, प्राचीन समय की हिन्दी की तुलना में सूक्ष्म प्रौढ़ है, परन्तु संस्कृत की तुलना में उसे सूक्ष्म तथा प्रौढ़ नहीं कहा जा सकता क्योंकि हिन्दी अभी तक उन अनेक क्षेत्रों में प्रयुक्त हो विकसित नहीं हुई जिनमें संस्कृत आज से हजारों वर्ष पहले हो चुकी है।

(10) यादृच्छिकता [Random रैन्डम] - स्वतंत्र, रेच्छिक

- इसका मतलब स्वतंत्र, रेच्छिक इनकी ध्वनि को समाज में स्वीकार कर लिया गया है। हमारी भाषा में किसी वस्तु या भाव का किसी शब्द के सहज - स्वभाव नहीं है। वही समाज के इच्छा अनुसार आना हुआ संबंध है। जैसे - पानी के लिए सभी भाषायें पानी का ही उपयोग करती है, अँग्रेजी शब्द वाटर ~~water~~ water का प्रयोग नहीं करती है, और न ही फारसी शब्द आब का प्रयोग करती है। इसलिए हम सभी भाषाओं में यादृच्छिकता पाते है।
- किसी घटना के होने अथवा ना होने की यदि कोई दिशा निर्धारित नहीं है तथा वह अनजाने कारणों से किसी नयी स्थिति की ओर बढ़ी चली जाती है तो ऐसी क्रिया को यादृच्छिकता कहते है।

भाषा का महत्व

- मनुष्य के व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन में भाषा का महत्व के निम्न प्रकार :—

(1) ज्ञान-प्राप्ति का प्रमुख साधन

- भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है।
- ~~भाषा के माध्यम से ही एक पीढ़ी समस्त संचित ज्ञान सामाजिक विरासत के रूप में दूसरी पीढ़ी को सौंपती है।~~
- भाषा के माध्यम से ही हम प्राचीन और नवीन, आत्मा और विश्व पहचानने की सामर्थ्य प्राप्त करते हैं।
- इसके द्वारा व्यक्तित्व का विकास होता है।

(2) विचार-विनिमय का सरलतम एवं सर्वोत्कृष्ट साधन

- बालक जन्म के कुछ ही दिनों पश्चात् परिवार में रहकर भाषा सीखने लगता है।
- यह भाषा वह स्वाभाविक एवं अनुकरण के द्वारा सीखता है।
- इसे सीखने के लिए किसी अध्यापक की आवश्यकता नहीं होती है।
- यह विचार-विनिमय का सर्वोत्तम साधन है, क्योंकि भाषा संकेतों एवं चिह्नों से श्रेष्ठ है।

(3) सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन

- भाषा समाज के सदस्यों को एक सूत्र में बाँधती है।
- समाज के प्रगति के पथ-पर आगे बढ़ता है।
- यह भाषा ही है जिसके आधार पर विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न जातियों एवं धर्मों के लोग मिलजुलकर रहते हैं।
- भाषा समाज को जोड़ने में सहायक है।
- भाषा सामाजिक जीवन में प्रगति का साधन है।

④ व्यक्तित्व के निर्माण में सहायक

- भाषा व्यक्तित्व के ~~निर्माण~~ विकास का महत्वपूर्ण साधन है।
- व्यक्ति अपने आन्तरिक भावों को भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करता है तथा इसी अभिव्यक्ति के साथ अन्दर छिपी अनन्त शक्ति अभिव्यक्त होती है।
- अपने विचारों एवं भावों को सफलतापूर्वक अभिव्यक्त करा सकना तथा अनेक भाषायें बोल सकना विकसित व्यक्ति के ही लक्षण हैं।
- अतएव: किसी व्यक्ति की अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी उसके व्यक्तित्व का विकास भी उतने ही प्रभावशाली ढंग से होगा।

⑤ भाषा ~~a~~ राष्ट्र की एकता का आधार

- समस्त राष्ट्र प्रशासन का संचालन भाषा के माध्यम से होता है।
- भाषा राष्ट्रीय एकता का मूलाधार है। ~~इसके~~
- इसके साथ ही कोई अन्य भाषा भी विभिन्न राष्ट्रों के बीच विचार-विनिमय, व्यापार, एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान का साधन बनती है।
- ऐसी भाषाओं के अभाव में विभिन्न राष्ट्रों के विद्वानों की विचार-धारायें राष्ट्र विशेष तक ही सीमित रह जाती है।

⑥ चिन्तन एवं ~~म~~ मनन की स्रोत

- भाषा के द्वारा ही विचार, चिन्तन एवं मनन करते हैं।

शिक्षा की प्रगति की आधारशिला

- भाषा शिक्षा का आधार है।
- सभी ज्ञान-विज्ञान के तत्त्व भाषा में ही लिपिबद्ध होते हैं।
- अगर भाषा न होती तो भाषा के स्वरूप का भी निर्माण नहीं होता तथा यदि शिक्षा की व्यवस्था न होती तो मनुष्य असभ्य, हिंसक तथा जंगली रहा होता।
- भाषा के अभाव में पूर्वजों द्वारा उपलब्ध ज्ञान हमें कभी प्राप्त न होता है।

(8) साहित्य एवं कला, संस्कृति एवं सभ्यता का विकास

- साहित्य भाषा में लिखा जाता है। भाषा का विकास उसके पल्लवित साहित्य के दर्पण में देखा जाता है। इसी तरह कला के स्वर भी भाषा में मुखरित होते हैं।
- जब वायुमण्डल में स्वर गुँजते हैं तथा श्रोता गद्‌गद हो जाते हैं तो यह सारा चमत्कार भाषा का ही होता है।
- भाषा के द्वारा ही हम अपने समाज के आचार-व्यवहार, तथा अपनी विशिष्ट जीवन शैली से अवगत होते हैं और भाषा के द्वारा ही हम नवीन आविष्कारों के आधार पर एक नवीन सृष्टि का सृजन करते हैं तथा अपनी भाषा को उन्नत बनाते हैं

मर्टो ए० पाई – "भाषा की कहानी वास्तव में सभ्यता की कहानी है।"

भाषा सीखने की प्रक्रिया

① - भाषा को अनुकरण द्वारा सीखा जाता है।

② - भाषा के सीखने में ध्वनि, संकेतों को सुना तथा पहचाना जाता है। इन्हें अनुकरण करने का प्रयास किया जाता है।

③ - भाषा को अभ्यास तथा प्रशिक्षण द्वारा सीखते हैं।

④ - भाषा में चारों भाषायी कौशल का प्रयोग होता है।

⑤ - भाषा सीखने में कौशलों का विकास किया जाता है और सीखने के बाद चयन की योग्यता विकसित की जाती है।

⑥ - भाषा की शक्ति एवं क्षमताओं का विकास क्रमानुसार होता है।

भाषा सीखने की प्रक्रिया

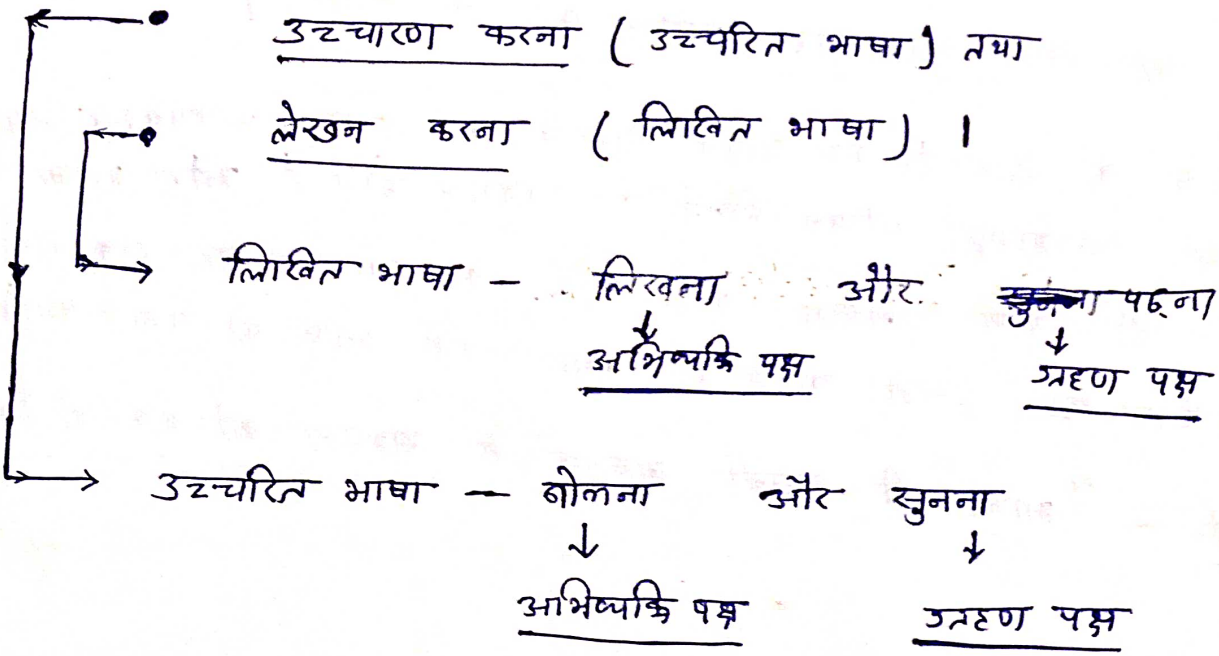

भाषा के मुख्य दो पक्ष

I. भौतिकात्मक पक्ष

- भौतिकात्मक का संबंध शारीरिक अवयवों की क्रियाओं से होता है। जैसे बोलने, पढ़ने, लिखने तथा सुनने से होता है।
- यह भाषा का भौतिक आधार माना जाता है।
- भाषा के शारीरिक अंग क्रियाशील होते हैं।
- शारीरिक रचना से ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं।

II. भावात्मक पक्ष

- मानसिक क्रियाओं का सम्बन्ध, विचारों, भावों तथा संकेतों की अभिव्यक्ति से होता है यह भाषा का मानसिक आधार होता है।
- चेतना पक्ष, ज्ञान पक्ष और प्रेरणा-पक्ष सब के आधार हैं।
- मन शारीरिक शक्ति पर दबाव डालता है जिससे शारीरिक अवयव क्रियाशील होकर ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं जिससे भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति होती है।
- अनुभूतियों की अभिव्यक्ति मूक भाषा (हाव-भाव) से की जाती है।
- और मानसिक रचना से भाव, विचार तथा संकेत उत्पन्न होते हैं।

भाषा का आधार

① भौतिक आधार ② मनोवैज्ञानिक या मानसिक आधार

③ समाजिक आधार ④ सांस्कृतिक आधार।

① भौतिक आधार

- भाषा के दो प्रमुख तत्व है - I. ध्वनि एवं II. अभिव्यक्ति
- मुख के अंगो की सहायता से ध्वनियाँ उत्पन्न होती है।
- भाषा ध्वनि संकेतो का समूह है।
- भाषा के उद्भव और विकास का श्रेय मनुष्य की विशिष्ट शारीरिक एवं मानसिक संरचना को है।
- शारीरिक रचना से ध्वनियाँ उत्पन्न एवं विचारों की अभिव्यक्ति की जाती है जिसे भाषा कहते है।

② मनोवैज्ञानिक आधार

- भावों एवं विचारों का सम्बन्ध मानसिक योग्यता एवं प्रक्रिया से है।
- भावों एवं विचारों का आदान-प्रदान का माध्यम भाषा है जिसका संबंध मनोदशा से होता है।
- मन में उत्पन्न क्रिया तथा प्रतिक्रिया ध्वनियों के रूप में प्रगट होती है तभी भाषा का जन्म होता है।
- भाषा - उत्तेजना - प्रतिक्रिया - ध्वनियो की एक श्रृँखला है।
- वाणी के माध्यम से मानसिक प्रत्ययों को दूसरे व्यक्तियों के मानसिक स्तर तक पहुँचाते हैं मानसिक उत्तेजना प्रभावपूर्ण - प्रतिक्रिया से ध्वनियों के माध्यम से भावों एवं विचारों का सम्प्रेषण होता है
- मनुष्य के शब्दों से उसके व्यक्तित्व एवं मानसिक स्तर का बोध होता है।

(3) समाजिक आधार

- भाषा एक समाजिक क्रिया है क्योंकि सभी समाजिक कार्यों तथा गतिविधियों में भाषा का ही उपयोग होता है।
- मानवीय संबंधो का आधार भाषा ही होता है।
- अपनी क्षेत्रीय भाषा के व्यक्तियों से अपनापन का अनुभव करते है।
- समाजिक रचना तथा समाज में विचार-विनिमय की आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया है।

(4) सांस्कृतिक आधार

- भाषा का परिष्कृत संस्कृति पर आधारित होती है।
- संस्कृति एवं भाषा से समान प्रेम होता है
- सांकृतिक विकास और अवनति उसकी भाषा और साहित्य के विकास एवं अवनती के साथ होती है।
- भाषा वास्तव में सांस्कृतिक तत्व है।
- समाजिक कार्यों एवं गतिविधियों से ही संस्कृति का निर्माण होता है।
- समाज का सदस्य क्या कहता है? और क्या करता है? इसमें कर्त्ता पक्ष संस्कृति का परिचायक होता है।
- भाषा सम्पूर्ण संस्कृति के आचरण का आधार है।
- भाषा ही समुदाय के निर्माण का मूल आधार है।
- भाषा से संस्कृति की अभिव्यक्ति होती है।

भाषा का विविध रूप

- हिन्दी भाषा का इतिहास लगभग 1 हजार वर्ष पुराना माना है।
- भाषाओं की संख्या तो असंख्य है। संसार में कितनी भाषायें हैं, इसका अनुमान लगाना भी असम्भव है।
- भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता अधिक है। इस दृष्टि से भारत विविधता का राष्ट्र है।
- यह भारत की विशेषता है कि विविधता में भी एकता है।
- यूरोप जैसे उपमहाद्वीप में भाषाओं के आधार पर ही राष्ट्र बने हैं। यूरोप उपमहाद्वीप के प्रत्येक देश की अपनी भाषा है, अर्थात् यूरोप का विभाजन भाषाओं के आधार पर हुआ है।
- भारत में भाषायें क्षेत्रीय तथा प्रादेशिक हैं; जैसे – बंगला – बंगाल देश, पंजाबी - पंजाब प्रदेश, राजस्थानी - राजस्थान प्रदेश आदि।
- यूरोप में भाषायें राष्ट्रीय स्तर हैं, जैसे → फ्रेंच – फ्रांस देश, जर्मन-जर्मनी देश, पोलिश - पोलैण्ड देश।

⇒ भाषाओं की शिक्षा प्रदान करने के लिए विद्वानो ने विभाजन 5 वर्गों में किया है।

1. प्राचीन भाषा
2. संस्कृत भाषा
3. मातृभाषा
4. राष्ट्र भाषा तथा
5. अन्तर्राष्ट्रीय भाषा।

① **प्राचीन भाषा** : - इसके अन्तर्गत उन भाषाओं को सम्मिलित किया है जो प्राचीन भारत में प्रयुक्त की जाती थीं, परन्तु आधुनिक समय में इनका उपयोग नहीं होता है।
- प्रमुख प्राचीन भाषाएँ – संस्कृत, पालि, प्राकृत और अपभ्रंश आदि।
- बौद्ध ग्रन्थों की रचना पाली में की गई थी परन्तु यह साहित्य प्राचीन हो गया है परन्तु साहित्य में योगदान का महत्व कम नहीं है।
- समय परिवर्तन, ऐतिहासिक घटनाओं, क्रान्तियों के परिणामस्वरूप इन भाषाओं का उपयोग प्रायः समाप्त हो गया है।

② **संस्कृत भाषा** :- संस्कृत भारत की सांस्कृतिक भाषा है।
- भाषा ही नहीं अपितु भाषाओं की जननी है।
- वेद, उपनिषद् तथा महाकाव्य मूल रूप में संस्कृत भाषा में ही लिखे गए।
- संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। दक्षिण की भाषाओं तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल पर भी इसका अधिक प्रभाव है।

- संस्कृत भाषा का सीधा उत्तर की भारतीय तथा आर्य कुल से है।

- सभी प्रकार के अनुष्ठान तथा संस्कार संस्कृत से ही किये जाते हैं।

- भारतीय जीवन में धार्मिक, सामाजिक, विधि - विधानों और संस्कारों की भाषा संस्कृत ही है।

- आज भी भाषा की सभ्यता और समृद्धिशीलता की दृष्टि से संस्कृत भाषा का अद्वितीय स्थान है।

- उत्तर तथा दक्षिण को मिलाने वाली भाषा संस्कृत ही है। ~~संस्कृत~~

(3) मातृभाषा - माता - पिता से सीखी हुई भाषा ही मातृभाषा है।

- बालक माता - पिता से स्थानीय या क्षेत्रीय बोली ही सीखता है, जिसका लेखन में प्रयोग नहीं होता है।

- लिखने की भाषा परिष्कृत होती है। इसी परिष्कृत भाषा के माध्यम से सभी कार्य होते हैं, तथा विद्यालयों में शिक्षण किया जाता है। तथा साहित्य का सृजन भी होता है, इसे मातृभाषा कहा जाता है।

- किसी विशिष्ट प्रदेश या क्षेत्र में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा को प्रादेशिक भाषा कहा जाता है।

- U.P, M.P में मातृभाषा हिन्दी है। शिक्षा

- बालकों को शिक्षा मातृभाषा से ही दी जानी चाहिए क्योंकि तथ्यों एवं प्रत्ययों को बोधगम्य करना सरल होता है। उच्च - शिक्षा माध्यम भी मातृभाषा होना चाहिए। क्योंकि भावों की अभिव्यक्ति करना सहज एवं स्वभाविक होता है।

(4) राष्ट्र भाषा — मातृभाषा के बाद राष्ट्रभाषा का प्रमुख स्थान है। जिसका संविधान में उल्लेख किया जाता है।

- प्रत्येक राष्ट्र की एक भाषा होती है, जिस भाषा को देश की अधिकांश जनता बोलती है और समझ लेती है, उसे राष्ट्र भाषा कहा जाता है।

- भारतीय संविधान में हिन्दी को राष्ट्रभाषा का गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया गया परन्तु प्रादेशिक संकीर्णता के कारण यह सम्भव नहीं हो सका। दुर्भाग्य यह है विदेशी भाषा (अंग्रेजी) को अपनाने में संकोच नहीं है परन्तु हिन्दी को अपनाने में आपत्ति है। जबकि हिन्दी में राष्ट्रभाषा के सभी गुण समाहित हैं।

- हिन्दी एक ऐसी भाषा है जिसे अधिकांश भारत की जनता बोलती तथा समझती है।

- उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तथा बिहार हिन्दी भाषी प्रदेश हैं,
- परन्तु हिमाचल प्रदेश, गुजरात के कुछ भागों में हिन्दी भाषा का प्रयोग निरन्तर किया जाता है।
- भारत के सभी प्रदेशों में हिन्दी भाषा का प्रयोग किसी न किसी रूप में किया जाता है। भारत के हिन्दुओं के चार धामों - बद्रीनाथ, द्वारिका, पुरी तथा रामेश्वरम के सभी दर्शन हेतु जाते रहे हैं। इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश हिन्दी भाषी प्रदेश है। ~~अयोध्या~~ हरिद्वार, ऋषिकेश, वाराणसी, मथुरा, वृन्दावन आदि धर्मस्थल हैं। सभी प्रदेशों से इन धर्मस्थलों पर जाते हैं और हिन्दी का व्यवहार होने के कारण सभी हिन्दी सीखना चाहते हैं।
- संस्कृत सीखने का प्रथम सोपान हिन्दी ही भाषा ही है।
- हिन्दी सीखना सरल तथा स्वाभाविक है।

⇒ **राष्ट्रभाषा का आवश्यकता**

1. देशवासियों में परस्पर सम्पर्क तथा विचारों का आदान-प्रदान एक राष्ट्र-भाषा के माध्यम से ही होता है।
2. राष्ट्र-भाषा देश के गौरव और सम्मान का भी प्रतीक होती है।
3. राष्ट्रीय एकता और भावात्मक एकता का विकास एक राष्ट्र-भाषा की शिक्षा द्वारा सम्भव होता है।
4. भारत जैसे विशाल देश में भाषाओं की विविधता का होना स्वाभाविक है। सभी भाषाओं का आदर, सम्मान तथा विकास किया जाना चाहिए, परन्तु राष्ट्र-भाषा अपने देश की भाषा होनी चाहिए। विदेशी भाषा को राष्ट्रीय स्थान देना एक दासता का प्रतीक है।

त्रिभाषी सूत्र

B.Ed 1st [illegible]
[illegible]

* शिक्षा में भाषाओं का स्थान →

- शिक्षा में उपरोक्त चारो भाषाओं (मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अन्तर्राष्ट्रीय) का अपना-2 स्थान है।
- इन चारो भाषाओं का विद्यालयी पाठ्यक्रम में किसी न किसी स्तर पर शमिलत करना आवश्यक है।
- सामाजिक और राष्ट्रीय आवश्यकताओं की दृष्टि से मातृभाषा और राष्ट्रभाषा का प्रमुख स्थान है।
- अन्तर्राष्ट्रीय भाषा या विदेशी भाषा को वैकल्पिक रूप में सम्मिलत किया जाए, जिससे बालक पर अनावश्यक रूप में भार न पड़े। परन्तु आवश्यकतानुसार बालक किसी भी विदेशी भाषा का अध्ययन कर सकता है।
- शिक्षा की व्यवस्था में भाषाओं का स्वाभाविक स्थान है।
- परन्तु भारत में भाषा-शिक्षा की समस्या बनी हुई है।
- इस सम्बन्ध में स्वतंत्रता के बाद के अनेक समितियाँ, आयोग तथा परिषदों ने अपनी संस्तुतियाँ की हैं।
- राष्ट्र-भाषा तथा शिक्षा-व्यवस्था की भाषा की एक ही समस्या है। इस सम्बन्ध में कुछ मौलिक प्रश्न हैं:—
  1. कितनी भाषाओं की शिक्षा में आवश्यक है?
  2. शिक्षा का माध्यम किस भाषा को बनाया जाए?
  3. किस स्तर पर किस भाषा की शिक्षा दी जाए?
  4. भाषा की शिक्षा का उद्देश्य और विस्तार व प्रयास क्यों हैं?

आदि विभिन्न समितियों, आयोगों तथा परिषदों ने इन्हीं प्रश्नो के समाधान हेतु अपना विचार (संस्तुतियाँ) दी है जो निचे इस प्रकार है:—

(1) ताराचन्द समिति →

माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु इस समिति की नियुक्ति की अ[illegible] गई। डॉ० ताराचन्द की अध्यक्षता में (1948) में इस समिति का गठन हुआ।

इसकी प्रमुख संस्तुतियाँ निम्न है:—

1. सीनियर बेसिक (प्राथमिक स्तर) कक्षा 6 से 8 तक मातृभाषा के अतिरिक्त कुछ समय तक अँग्रेजी भाषा को अनिवार्य करने की संस्तुति की।

b निम्नमाध्यमिक स्तर कक्षा 9 से 10 तक मातृभाषा के अतिरिक्त [illegible] एवं अंग्रेजी को अनिवार्य करने की संस्तुति की।

c अंग्रेजी के हट जाने पर संघीय भाषा को अनिवार्य रखने की भी संस्तुति की।

↓

[हिन्दी के समान 21 अन्य भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। केन्द्र और राज्य के रिश्ते: भारत की संघीय व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केन्द्र और राज्य के बीच रिश्तों का पुनर्गठन भी]

(2) मुदालियर शिक्षा आयोग (1952) ⇒

~~माध्यमिक शिक्षा में सुधार हेतु इस समिति~~ इनका सुझाव भाषा के सम्बन्ध में:-

a शिक्षा का माध्यम, (माध्यमिक स्तर पर) मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो,

b पूर्व माध्यमिक स्तर (9-10) पर कम-से-कम दो भाषाओं की शिक्षा दी जाए। मातृभाषा से शिक्षा आरम्भ किया जाए, और ~~पूर्व~~ (उत्तर) माध्यमिक स्तर से अँग्रेजी भाषा का शिक्षण किया जाए।

c उच्चतर माध्यमिक स्तर कक्षा 11 से 12 पर दो भाषाओं की शिक्षा दी जाए जिनमें एक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो

⇒ मुदालियर आयोग की संस्तुति के अनुसार, माध्यमिक स्तर पर दो ही भाषाएँ अनिवार्य रखी गई ⇒

अ. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा तथा

ब. निम्नलिखित में से कोई एक भाषा,
- हिन्दी, (अहिन्दी भाषी क्षेत्रों के लिए,)
- (प्रारंभिक अँग्रेजी) जिन्होंने मिडिल कक्षाओं में अँग्रेजी नहीं पढ़ी हो।
- (उच्च अँग्रेजी) जिन्होंने पहले अँग्रेजी पढ़ी है।
- हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भारतीय भाषा की शिक्षा।
- अँग्रेजी के अतिरिक्त एक विदेशी भाषा
- प्राचीन सांस्कृतिक भाषा।

NOTE ⇒
- भारत में भाषा-शिक्षण से संबंधित नीति है, जो भारत सरकार द्वारा राज्यों से विचार-विमर्श करके बनायी गयी है।
- इसको 1968 में स्वीकार किया गया।

③ कोठारी आयोग (1964-66) ⇒

कोठारी आयोग ने त्रिभाषी सूत्र का ~~सूत्र का~~ संशोधन किया। इस आयोग ने भी माध्यमिक स्तर पर तीन भाषाओं के अध्ययन को अनिवार्य करने की संस्तुति की, इसमें अँग्रेजी भाषा के प्रमुखता को बनाए रखा। तीन भाषाओं की शिक्षा का रूपरेख प्रकार रखा गया है:-

⇒ तीन भाषाओं की शिक्षा

a. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा दी जाए।

b. केन्द्र की राजभाषा ~~का~~ या सह-राज भाषा की शिक्षा दी जाए

c. एक भारतीय भाषा या विदेशी भाषा] जिसे (अ) या (ब) में न लिया जाए और शिक्षा के माध्यम से भिन्न हो।

④ त्रिभाषी सूत्र ⇒

- माध्यमिक आयोग के सुझाव से भाषा-शिक्षा की समस्या का समाधान नहीं हो सका।

- भारतीय संविधान में हिन्दी को राजभाषा का स्थान दिया गया, और अँग्रेजी को चलते रहने की बात भी संविधान ने मान ली थी। अतः अँग्रेजी की ~~चलते~~ ~~रहने की बात भी संविधान ने मान ली थी~~ + शिक्षा की प्रमुखता कम नहीं हुई।
[15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक जवाहर लाल नेहरू p.m थे]

- 'केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार मण्डल' ने 1956 में 'त्रिभाषी सूत्र' के रूप में भाषा-शिक्षा समस्या का समाधान प्रस्तुत किया।

- सन् 1957 में इस सूत्र को भारत सरकार ने स्वीकृति दी और सन् 1961 में मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में 'त्रिभाषी सूत्र' की पुष्टि कर दी गई।

- इस सूत्र के अनुसार, प्रत्येक भारतीय बालक को तीन भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य हो:-

1. मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा,
2. अँग्रेजी भाषा तथा
3. अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा की शिक्षा दी जाए।

या, 1. विद्यालय में पहली भाषा के रूप में मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए।
2. द्वितीय भाषा के रूप में हिन्दी भाषी राज्यों कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा या अँग्रेजी और गैर-हिंदी भाषी क्षेत्रों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जा
3. तृतीय भाषा के रूप में हिंदी भाषी तथा गैर हिंदी भाषी दोनो राज्यों में अँग्रेजी या कोई भी ऐसी आधुनिक भारतीय ~~भारतीय~~ भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में न पढ़ायी जाए।

* त्रिभाषा सूत्र एवं संवैधानिक प्रावधान

- हमारे देश के संविधान के धारा (~~३५३~~) 343(1) के अनुसार, "भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिन्दी होगी;"

- इसके अतिरिक्त 351 में कहा गया है कि "हिंदी भाषा का इस तरह विकास व प्रोत्साहन दिया जाए, ताकि यह भारत की समाजिक संस्कृति के सभी तत्वों को अभिव्यक्ति प्रदान करने का माध्यम बन सके।"

- अनुच्छेद 343(2) के अनुसार सभी कार्यालय कार्यों के संपादन हेतु अंग्रेजी को 15 वर्षो तक प्रयोग करने की बात कही गयी है। 1965 तक आते-आते दक्षिण भारत में भाषा को लेकर विवाद और दंगे-फसाद हुए। इसे यह पता चला कि अंग्रेजी भाषा को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता। अतः हिंदी भाषा तब से लेकर अब तक भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है।

* ताराचन्द समिति (1948), मुदालियर शिक्षा आयोग (1952) और कोठारी आयोग (1964-66) द्वारा त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना को राष्ट्र के ~~समम~~ समक्ष रखा गया।

* त्रिभाषा-सूत्र की मूल-अवधारणाएँ

आयोगों और समितियों ने इस सूत्र के प्रतिपादन में निम्न अवधारणा का सहारा है

1. शिक्षण और शिक्षा का माध्यम मातृभाषा हो, साथ ही उसका अध्ययन भी अनिवार्य होना आवश्यक है।
2. भारत बहुभाषी-भाषी देश है, अतः यहाँ की सम्पर्क भाषा मातृभाषा के अतिरिक्त हो सकती हैं और उस स्थिति में सम्पर्क भाषा का अध्ययन भी अभिष्ट है।
3. भारत की राष्ट्रभाषा, राजभाषा या कम-से-कम सम्पर्क-भाषा हिन्दी का अध्ययन अनिवार्य होना चाहिए, जनतन्त्र की आवश्यकता भी यही है।
4. अंग्रेजी विश्वभाषा है, समृद्ध है एवं इसके बिना भारत का काम नहीं चल सकता, अतः इसका अध्ययन पूरे देश में अनिवार्य होना चाहिए।
5. इस दृष्टि से जिन लोगो की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, उन्हे माध्यमिक स्तर पर कम-से-कम तीन भाषाएँ पढ़नी होंगी।
6. किंतु जिनकी मातृभाषा हिन्दी है, वे दो ही भाषाएँ पढ़ेंगे। ऐसा क्यों हो? अतः हिन्दी-भाषी प्रदेशों के एक अन्य भाषा को अनिवार्य कर दिया जाए, जिससे अहिन्दी-भाषी प्रदेशों की दृष्टि से न्याय हो सके।
7. यह अन्य भाषा संस्कृत न हो।
8. आधुनिक भारतीय भाषाओं में भी वरीयता तमिल भाषा को दी जाए।